निर्णय बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 10/2019 तारीख दायरा 25.03.2019

उनवान

गणपत सिंह पुत्र चतुर्भुज सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम कमोलर तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान। – वादी

बनाम

राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार महोदय, सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान। – प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88,89 आर टी एक्ट

उपस्थित :–

श्री अशोक कुमार जैन (वकील वादी) दिनॉक :– 15.12.2020

सरकार पैरोकार (प्रतिवादी)

––निर्णय––

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता वाद इस आशय का प्रस्तुत किया है कि ग्राम कमोलर तहसील सांगोद जि[illegible] वर्तमान खसरा न0138 की 0.18 हैक्टर व खसरा न0139 की 0.32 हैक्टर [illegible] साबिक खसरा न0274 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा रहे हैं, उक्त साबिक खसरा न0274 की [illegible] बीघा 3 बिस्वा कृषि [illegible] आवंटन, आवंटन अधिकारी द्वारा दिनांक 28.12.88 को रमेश पुत्र कालूलाल मेघवाल के पक्ष में किया गया

Signature Not Verified
Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.03.03 13:30:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

था, परन्तु उक्त व्यक्ति द्वारा उक्त आवंटित भूमि में अपना कब्जा होने की वजह से आवंटी के उक्त आवंटन को स्वीकार नहीं करने पर उक्त भूमि को दिनांक 19.6.89 को उक्त भूमि में वादी का शांति पूर्वक उपयोग उपभोग होने की वजह से वादी के नाम से आवंटन कर दी गई। आवंटन के पूर्व से आज तक भी उक्त भूमि वादी के शांति पूर्वक उपयोग उपभोग में चली आ रही है।

उक्त आवंटित भूमि में पूर्व आवंटी रमेश पुत्र कालूलाल द्वारा आवंटन को स्वीकार न करने तथा उक्त भूमि के वादी को आवंटन हो जाने के उपरान्त भी तत्कालीन तहसीलदार महोदय द्वारा उक्त भूमि में रमेश पुत्र कालूलाल के नाम से नामान्तरण स0 767 से दर्ज कर दिया गया, जिसके विरूद्व वादी द्वारा सक्षम न्यायालय माननीय उपजिला कलेक्टर रामगंजमंडी के यहां अपील प्रस्तुत करने पर नामान्तरण स0767 को निरस्त कर दिया गया, तथा प्रकरण को रिमाण्ड करते हुए न्यायोचित आदेश बाद सुनवाई किये जाने के आदेश प्रचलित किये गये, उक्त आदेश की पालना में तत्कालीन तहसीलदार महोदय सांगोद द्वारा नामान्तरण स0 767 पर खारिज किये जाने का नोट अंकित करते हुए, उक्त भूमि को वादी के नाम से नामान्तरण में नोट दर्ज करते हुए दिनांक 14.7.97 को वादी की गैर खातेदारी में दर्ज कर दी गई।

दिनांक 19.6.2014 के लगभग वादी ने उक्त खाते की नकल की आवश्यकता पडने पर तत्कालीन हलका पटवारी से प्राप्त की, तो उसकी जानकारी मे आया, कि उक्त भूमि में वादी का नाम दर्ज नहीं है, अपितु उक्त भूमि रमेश मेघवाल के नाम से ही खाते में दर्ज चली आ रही है, जबकि उक्त व्यक्ति के पक्ष में खोले गये इन्तकाल को माननीय न्यायालय द्वारा खारिज किया जा चुका है, इसकी जानकारी होने पर वादी ने तहसीलदार महोदय के कार्यालय में उक्त भूमि को वादी के नाम से खाते में दर्ज करने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर कार्यवाही करते हुए तहसीलदार महोदय सांगोद ने उक्त भूमि को नामान्तरण स0 877 दिनांक 13.6.2016 से सिवाय चक सरकार तो दर्ज कर दिया, परन्तु वादी के पक्ष में खोले गये नामान्तरण के आधार पर उक्त भूमि में वादी का नाम दर्ज नहीं किया, जबकि उक्त भूमि में पूर्व से ही वादी के पक्ष में नामान्तरण खुला हुआ है। जिसका जमाबन्दी में केवल [illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.03.03 13:50:46 IST
Reason: SelfAttested

वादी एक बुजुर्ग व्यक्ति है, और उक्त कृषि भूमि को अपने खाते में दर्ज करवाने के लिए काफी समय से प्रयासरत है, परन्तु उसकी सुनवाई नहीं हो पा रही है, इसलिए वादी को विवश होकर उक्त वाद प्रस्तुत करने के लिए बाध्य होना पडा है, वादी चाहता है, कि वादी के पक्ष में पूर्व

उपखण्ड अधिकारी

में ही खोले गये नामान्तरण के आधार पर उक्त कृशि भूमि पर वादी का नाम दर्ज किया जाकर वादी को खातेदार कृषक घोषित किया जावें, यही इस वाद की विषय वस्तु है।

वाद कारण अंतिम बार दिनांक 8.3.2019 को उत्पन्न हुआ, जब वादी ने प्रतिवादी के कार्यालय में उपस्थित होकर उक्त कृषि भूमि में वादी का नाम दर्ज करने की प्रार्थना की, जिस पर उन्होने वादी को माननीय न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने को कहा।

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी को ग्राम कमोलर तहसील सांगोद जिला कोटा में स्थित खसरा न0 138 की 0.18 हैक्टर व खसरा न0 139 की 0.32 हैक्टर कृषि भूमि का खातेदार कृषक घोषित किया जावें तथा उक्त घोषणा के अनुकम में राजस्व रेकार्ड में वादी का नाम दर्ज किये जाने की डिकी पारित फरमावें।

उक्त आशय का वाद प्रस्तुत होने पर वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। सरकार पैरोकार ने जवाब प्रस्तुत किया जिसके तथ्य निम्न प्रकार है–

ग्राम कमोलर के साबिक ख.न. 274 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा भूमि दिनांक 28.12.88 को रमेश पुत्र कालूलाल मेघवाल को आवंटन की गई थी परन्तु उक्त भूमि पर वादी का कब्जा काश्त होने से दिनांक 19.6.1989 को आवंटन कमेटी द्वारा उक्त भूमि वादी को आवंटन की गई। उक्त भूमि पर वर्तमान खसरा न0 138 की 0.18 हैक्टर व खसरा न0 139 की 0.32 हैक्टर कुल 2 किता की कुल 0.50 हैक्टर बने हैं। जिस पर वादी का पुत्र विकम सिंह का कब्जा काश्त है। वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य व रेकार्ड तथा कब्जा काश्त अनुसार ग्राम कमोलर के खसरा न0 138 की 0.18 हैक्टर व खसरा न0 139 की 0.32 हैक्टर भूमि पर वादी गणपत सिंह पुत्र चतुर्भुज को नामा. सं. 766 दिनांक 14.7.1997 से गैरखातेदार दर्ज किया जाना स्वीकार हुआ तथा नामा. सं. 767 निरस्त किया गया किन्तु दौरान भू प्रबन्ध उक्त नामा. सं. 766, 767 का अमल नहीं किये जाने से पूर्व आवंटी गैरखातेदार दर्ज हुआ चला आ रहा था जो नामा. सं. 877 दिनांक 13.6.2016 से रमेशचन्द गैरखातेदार निरस्त किया गया व उक्त भूमि सिवायचक खाता सरकार की गई। आवंटन वादी के नाम आवंटन कमेटी द्वारा किया गया है व गैरखातेदार दिनांक 14.7.1997 से दर्ज किया जाना सिद्ध होता है। भू प्रबन्ध विभाग द्वारा अमल नहीं किये जाने के कारण वाद उत्पन्न हुआ है। अतः वादी को खातेदार घोषित किया जाने पर किसी प्रकार का राजहित प्रभावित नहीं होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.03.03 13:50:46 IST
Reason: SelfAttested

जवाब सरकार से प्रतीत होता है कि सरकार दावा वादी का स्वीकार करने पर सहमत है। जवाब सरकार ने इकबाली जवाब प्रस्तुत किया है, इस कारण तनकियात कायम करने

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

की आवश्यकता नहीं है। वादी अधिवक्ता ने वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए वाद को स्वीकार करने की प्रार्थना की।

पत्रावली के अवलोकन से मैनें यह पाया कि पत्रावली में जो जवाब सरकार, दस्तावेजात व पक्षकारों के अभिवचनों पर सूक्ष्मतम अवलोकन करने के उपरान्त मैं दावा वादी स्वीकार करना उचित समझती हूँ। अतः वादी का वाद स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार किया जाकर अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है।

वादी का वाद स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि –

ग्राम कमोलर तहसील सांगोद जिला कोटा में स्थित खसरा न0 138 की 0.18 हैक्टर व खसरा न0 139 की 0.32 हैक्टर कृषि भूमि का वादी को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। उक्त घोषणा के अनुकम में इन्द्राज दुरस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें। वाद व्यय वादी स्वयं वहन करें। नियमानुसार डिकी पर्चा पृथक से जारी हो।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

Signature Not Verified
Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.03.03 13:50:46 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 15.12.2020 को खुले न्यायालय में लिखाकर सुनाया गया।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

फर्द डिक्री मुकदमात इब्तदाई

आर.रूल्स 6–7 जाप्ता दीवानी

निर्णय बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 10/2019 तारीख दायरा 25.03.2019

उनवान

गणपत सिंह पुत्र चतुर्भुज सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम कमोलर तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।

– वादी

बनाम

राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार महोदय, सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।

– प्रतिवादी

<u>दावा अन्तर्गत धारा 88,89 आर टी एक्ट</u>

उपस्थित :–

श्री अशोक कुमार जैन (वकील वादी) दिनॉक :– 15.12.2020

सरकार पैरोकार (प्रतिवादी)

आज यह मुकदमा वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) व हाजरी श्री अशोक कुमार जैन मिन जानिब मुद्दई ... मिन जानिब मुददायल पेश होकर आदेश दिया जाता है कि–

Signature Not Verified
Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.03.03 13:50:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
साँगोद जिला कोटा

ग्राम कमोलर तहसील सांगोद जिला कोटा में स्थित खसरा न0 138 की 0.18 हैक्टर व खसरा न0 139 की 0.32 हैक्टर कृषि भूमि का वादी को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। उक्त घोषणा के अनुकम में इन्द्राज दुरस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

निर्णय आज दिनांक 15.12.2020 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.03.03 13:50:46 IST
Reason: SelfAttested

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद